रा.सं.सं./छात्रवृत्ति/110/सूचना/2018 राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) नई दिल्ली

दिनांक 24.4.2018

अधिसूचना-1/2018

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा पारंपरिक धारा में पूर्वमध्यमा से विद्यावारिधि तक तथा आधुनिक धारा में नवमी कक्षा से पी.एच.डी तक नियमित रूप से पढ़ने वाले प्रतिभाशाली संस्कृत/पालि/प्राकृत छात्र/छात्राओं को वर्ष-2016-2017 की छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र/छात्राओं की सूची सत्यापन हेतु सम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को प्रेषित की गई थी, किन्तु कुछ संस्थाओं से अभी तक सत्यापित प्रपत्रों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि संस्थान द्वारा प्रेषित प्रपत्र सत्यापित कर दिनांक 21.5.2018 तक संस्थान मुख्यालय, नई दिल्ली में पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिनांक 21.5.2018 के पश्चात् प्राप्त होने वाले सत्यापित प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा देय छात्रवृत्ति निरस्त समझी जाएगी।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत की गई है।

प्रभारी (छात्रवृत्ति)

RSKS/Sch./110/Notice/2018 RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN (DEEMED UNIVERSITY) NEW DELHI

Dated 24.4.2018

NOTIFICATION-1/2018

The Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), New Delhi had forwarded a list of selected meritorious regular students of Sanskrit/Pali/Prakrit from Purva Madhyama to Vidyavaridhi of traditional stream and 9th to Ph.D. levels of modern stream, to concerned Schools/Colleges/Universities/Organisations for award of Scholarship for the year 2016-2017 for verification of their documents. It is noticed that some of the Schools/Colleges/Universities/Organisations have not verified the documents of students sent by the Sansthan. Hence all, such, Institutions are hereby requested to ensure submission of the documents, duly verified, sent by Sansthan and submit latest by 21.5.2018 to the Headquarters of the Sansthan, New Delhi. Verified documents received after 21.5.2018 shall not be entertained and the offer for scholarship so awarded shall be treated as cancelled.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Incharge (Scholarship)